सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 23 राँची, बुधवार 1 भाद्र, 1937 (श०)

23 अगस्त, 2017 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	753-795	**भाग-4**–झारखण्ड अधिनियम	
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।		**भाग-5**–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।		**भाग-7–**संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।		**भाग-8-** भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा		**भाग-9**- विज्ञापन	---
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।		**भाग-9-क–**वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।		**भाग-9-ख–**निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
		पूरक-- ...	...
		पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कल्याण विभाग।

अधिसूचना

20 मार्च, 2017

संख्याः- 06/08 प्र.वि.शि.स्था.-01/2013- 896-- भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य कल्याण विभाग के अधीन कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

क) यह नियमावली झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक(नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2017 कही जाऐगी ।

ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

ग) यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं:-

क) 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य ।

ख) 'विभाग' से अभिप्रेत है कल्याण विभाग ।

ग) 'नियमावली' से अभिप्रेत है:- झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2017 ।

घ) 'सेवा' से अभिप्रेत है, कल्याण विभाग शिक्षक सेवा ।

ड) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है कल्याण विभाग शिक्षक सेवा के अधीन पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत कोटि यथा- प्रधानाध्यापक, स्नात्तक शिक्षक, ईंटर शिक्षक आदि ।

च) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है नियमावली के नियम-3 में वर्णित पदों के सन्दर्भ में कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/सचिव ।

छ) 'आयोग' से अभिप्रेत है, यथा स्थिति झारखण्ड लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ।

3. सेवा/संवर्ग की रचना एवं बल:-

सभी शिक्षकों का राज्य संवर्ग होगा ।

संवर्गीय संरचना:- कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की निम्नांकित श्रेणियाँ एवं वेतनमान होगें:-

क्र.सं.	**पद**	**वेतनमान (मूल कोटि)**	**ग्रेड पे**	**वर्गीकरण**	**स्वीकृत बल**
1	2	3	4	5	6
1	प्रधानाध्यापक (उच्च विद्यालयों में)	15600-39100	PB-III GP=5400	ख	44
2	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (उच्च विद्यालयों में)	9300-34800	PB-III GP=4600 (मूल कोटि)	ख	408
3	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (उच्च विद्यालयों में)	9300-34800	PB-III GP=4600 (मूल कोटि)	ख	45
4	इंटर प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक एवं मध्य शाखा में)	9300-34800	PB-III GP=4200 (मूल कोटि)	ख	665
5	संगीत शिक्षक	9300-34800	PB-III GP=4200 (मूल कोटि)	ख	04

उपर्युक्त पदों में प्रधानाध्यापक का पद राजपत्रित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, इंटर प्रशिक्षित शिक्षक, संगीत शिक्षक का पद अराजपत्रित होंगे । राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्नातक प्रशिक्षित, इन्टर प्रशिक्षित उपर्युक्त स्वीकृत बलों के अतिरिक्त समय-समय पर स्वीकृत पद इसमें अधिसूचना द्वारा जोड़े जा सकते हैं या इससे हटाये जा सकते हैं ।

अध्याय- 2
भर्त्ती/नियुक्ति

4. रिक्तियों में नियतीकरण:- प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की 31वीं दिसम्बर को कार्यरत बलों के आधार पर रिक्तियाँ नियत होंगी ।

5. नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा गठित आरक्षण नीति के अनुरूप सेवा के तहत नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण अनुमान्य होगा ।

6. भर्ती की पद्धति :-

(I) सीधी भर्ती

क) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक:- स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के स्वीकृत बल का 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा ।

अपेक्षित अहर्ता (i)- :- स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य संकाय में संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य अर्हता होगी, किन्तु अनु॰ जाति/ जनजाति के मामले में न्यूनतम प्राप्तांक 45% लागू होगा ।

(ii)- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन०सी०टी०ई०) से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड० की डिग्री अथवा एन०सी०टी०ई० के अस्तित्व में आने की तिथि अर्थात 17 अगस्त, 1995 से पूर्व के मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बी०एड० अथवा समकक्ष योग्यताधारी उम्मीदवारों को ही स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाएगा । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं साथ ही मानव संसाधन विकास विभाग के मापदण्डों का अनुसरण किया जाएगा । नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में बी०एड० के अन्तिम वर्ष के परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकेगें, किन्तु स्नातक प्रशिक्षिण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही उनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी ।

(iii)- स्नात्तक शिक्षकों की सीधी नियुक्ति झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गयी मेधा सूची से की जाएगी ।

<u>परीक्षा का स्वरूपः-</u>

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगीः-

(क) प्रारंभिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परन्तु किसी विषय के शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में अभ्यर्थियों की संख्या 15000 (पन्द्रह हजार) से कम होने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जायेगी ।

(ii) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे । एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3(तीन) होगा । प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी ।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी / अंग्रेजी होगी ।

(क) प्रारंभिक परीक्षा

सामान्य ज्ञान के इस परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी जिसमें निम्नलिखित उपखण्डों से प्रश्न पूछे जायेंगेः-

पत्र-सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन	-	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	-	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	-	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	-	20 प्रश्न
(ड0) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान	-	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	-	30 प्रश्न
कुल	-	150 प्रश्न

उपर्युक्त उपखण्डों के प्रश्नों का पाठ्यक्रम वही होगा जो स्नातक स्तरीय पदों पर भर्ती के संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विहित है ।

(ख) मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित दो पत्र होंगेः-

प्रश्न पत्र-1- सामान्य ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा । इस प्रश्न पत्र की परीक्षा अर्हक (Qualifying) परीक्षा होगी जिसमें तैतींस प्रतिशत अंक उत्तीर्णतांक निर्धारित रहेगा । इस प्रश्न पत्र की परीक्षा में तैतींस प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र दो की उत्तरपुस्तिका की जाँच नहीं की जायेगी । तैतींस प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने की स्थिति में उसे मेधा सूची के निर्धारण के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा । इसमें निम्नलिखित उपखण्डों के प्रश्न पुछे जायेंगेः-

हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित	- 13 प्रश्न
अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित	- 12 प्रश्न
हिन्दी व्याकरण पर आधारित	- 13 प्रश्न
अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित	- 12 प्रश्न
सामान्य अध्ययन	- 20 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	- 20 प्रश्न
मानसिक क्षमता जाँच	- 15 प्रश्न
कम्प्यूटर ज्ञान	- 10 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	- 35 प्रश्न
कुल प्रश्नों की संख्या	- 150 प्रश्न

उपर्युक्त प्रश्नों का स्तर वही होगा जो किसी सुशिक्षित व्यक्ति से उत्तर की अपेक्षा की जाती हो ।

प्रश्न पत्र-2- संबंधित विषय की परीक्षा जिस विषय के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति होनी है । इसमें संबंधित विषय के स्नातक स्तर के 120 (एक सौ बीस) प्रश्न पुछे जायेंगे तथा इस पत्र में प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जायेगी । आरक्षण कोटिवार इस पत्र की परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक निम्नवत् रहेगाः-

(I) अनारक्षित - 40 (चालीस) प्रतिशत

(II) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति - 32 (बत्तीस) प्रतिशत

(III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची-1) - 34 (चौतीस) प्रतिशत

(IV) पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची-2) - 36.5 (छत्तीस दसमलव पाँच) प्रतिशत

(V) झारखण्ड राज्य की स्थानीय महिला - 32 (बत्तीस) प्रतिशत

उपर्युक्त अहर्ताक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा- सूची में शामिल नहीं किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची से विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षत में गठित विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी ।

(ख) इन्टर प्रशिक्षित शिक्षकः-

इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के 100 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति की जाएगी । नियुक्ति हेतु अहर्त्ता, चयन प्रक्रिया आदि वही होगा जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इन्टर प्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति के लिए अनुमान्य है । यह नियुक्ति झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन के बाद प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में की जाएगी । नियुक्ति में राज्य स्तरीय रोस्टर लागू रहेगा । नयी नियुक्ति हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ इन्टरमीडिएट/ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) उत्तीर्णता अनिवार्य अर्हता होगी । अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए न्यूनतम 45% अंको के साथ इन्टरमीडिएट/उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष)

एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) उत्तीर्णता अनिवार्य अर्हता होगी। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो । नियुक्ति हेतु शिक्षक प्रशिक्षण की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी भी आवेदन दे सकेगें, परन्तु प्रशिक्षण पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उनकी नियुक्ति की जाएगी ।

ग) <u>संगीत शिक्षकः-</u>

संगीत शिक्षक के 100 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति की जाएगी । यह नियुक्ति झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन के बाद प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में की जाएगी । नियुक्ति में राज्य स्तरीय रोस्टर लागू रहेगा । राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से प्रवेशिका (मैट्रिक) परीक्षोत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता अनिवार्य होगी । नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का स्वरूप कर्मचारी चयन आयोग अपने स्तर से तैयार कर लेगा ।

घ) <u>शारीरिक शिक्षा अनुदेशकः-</u>

(i) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला विज्ञान अथवा वाणिज्य में इन्टरमिडियट परीक्षोत्तीर्ण ।

(ii) वैसे अभ्यर्थी जो झारखण्ड राज्य के निवासी हो तथा जिन्होंने भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नेशनल इन्सटीच्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला अथवा लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय से डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त किये हैं, को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी ।

वैसे अभ्यर्थी जो झारखण्ड राज्य के निवासी हो तथा भारतीय ओलम्पिक संध द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में राष्ट्रीय फेडेरेशन तथा स्कूल गेम्स फेडेरेशन ऑफ इन्डिया अथवा राष्ट्रीय खेल में प्रथम से पंचम स्थान प्राप्त किये हों, को प्राप्त स्थान के आलोक में द्वितीय प्राथमिकता दी जायेगी ।

वैसे अभ्यर्थी जो झारखण्ड राज्य के निवासी हों तथा झारखण्ड सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किये हो, को तृतीय प्राथमिकता दी जायेगी ।

(iii) शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन राज्य सरकार के अनुमोदन से इस नियमावली के नियम 7 के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा पैनल तैयार कर ली जायेगी एवं इनके नियुक्ति पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव होंगे ।

(iv) इस नियमावली के लागू होने से पूर्व जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक नियुक्त एवं कार्यरत हैं, उनकी सेवा शर्तें पूर्ववत रहेगी । परन्तु उनकी सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु के कारण रिक्त पद स्वतः शिक्षा अनुदेशक के पद में परिवर्तित होते जायेंगे तथा जिनपर नियुक्ति इस नियमावली के प्रावधानों के तहत की

जायेगी । यह नियुक्ति झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन के बाद प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में की जाएगी । नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का स्वरूप कर्मचारी चयन आयोग अपने स्तर से तैयार कर लेगा ।

सीधी भर्त्ती हेतु उम्र-सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों के अनुरूप होगी ।

(ख) प्रोन्नति से भर्तीः-

स्नातक शिक्षकः- स्नातक शिक्षक के स्वीकृत बल के 50% बल पर वैसे इण्टर प्रशिक्षित शिक्षकों को वरीयता सह योग्यता आधारित प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया जायेगा जिनके द्वारा उस विषय में स्नातक शैक्षणिक योग्यता धारित की जाती हो, जिस विषय के लिए नियुक्ति होनी है, तथा जिन्होंने इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर तीन वर्षों से अन्यून अनुमोदित सेवा पुरी कर ली हो । यह नियुक्ति विभाग में कंडिका 7 के तहत गठित समिति के अनुशंसा के आलोक में की जाएगी । परन्तु इस कोटि में सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में उपलब्ध रिक्तियाँ सीधी नियुक्ति से भरी जाएगी ।

2. इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों की योग्यता प्रमाण पत्रों आदि की जाँचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के पश्चात स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति दी जाएगी । इस प्रोन्नति के लिए कालावधि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुमान्य कालावधि के अनुरूप होगी ।

प्रधानाध्यापकः- प्रधानाध्यापक के पद स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जायेगे । इस प्रकार की प्रोन्नति प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में की जाएगी । प्रोन्नति में सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षण प्रावधान लागू रहेगें । प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए सभी श्रेणियों के लिए कालावधि सरकार द्वारा निर्धारित अधिमानता के अनुरुप एक सामान होगा ।

(ग) सेवा के पदधारकों की आपसी वरीयता कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन अनुदेशों के आलोक में निर्धारित की जायेगी ।

(घ) वेतन, भत्ता एवं पेंशनः- वित्त विभाग झारखण्ड रांची द्वारा अनुमान्य कोटि वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें ।

(ड़) रिक्तियों का संसूचनः- दिनांक-31वीं दिसम्बर को कलित करते हुए रिक्तियों के अधियाचना आयोग को की जायेगी ।

7. स्थानान्तरण - सरकार द्वारा निर्धारित नीति निदेशों के आलोक में सभी शिक्षकों का स्थानान्तरण पदस्थापन कल्याण विभाग के किसी भी विद्यालय में किया जाएगा । स्थानान्तरण

आवश्यकता आधारित शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया जायेगा । स्थापना समिति की बैठक प्रतिवर्ष माह मई, जून एवं नवम्बर, दिसम्बर में होगी । परन्तु यह कि विशेष परिस्थिति में मानवीय दृष्टिकोण, लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कभी भी स्थानान्तरण/पदस्थापन के बिन्दु पर आदेश पारित किया जा सकेगा । नियमावली अधीन सभी संवर्गो के सदस्यों का स्थानान्तरण उनके अपने गृह जिलों में किया जा सकेगा । यदि पति-पत्नी एक ही सेवा में हो तो अभ्यावेदन पर यथासंभव यथास्थान स्थानान्तरण किया जा सकेगा । सेवा निवृत्ति की तिथि से पूर्व 2 वर्षो के भीतर लिखित अनुरोध पर सुविधानुसार अनुकूल विद्यालय में रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ।

सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण/पदस्थापन राज्य स्तर पर गठित स्थापना समिति की अनुशंसा पर प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग के द्वारा किया जा सकेगा ।

(I)	राज्य स्तरीय स्थापना समिति:-		
(i)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग	-	पदेन अध्यक्ष ।
(ii)	विशेष सचिव/अपर सचिव, कल्याण विभाग	-	पदेन सदस्य ।
(iii)	आदिवासी कल्याण आयुक्त	-	पदेन सदस्य ।
(iv)	संयुक्त सचिव/उप सचिव, स्थापना	-	पदेन सदस्य ।
(v)	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी	-	सदस्य।

8. <u>गोपनीय चरित्र पुस्ति</u>:-

क) <u>शिक्षक</u>- सभी कोटि के शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय चरित्री पुस्ति प्रधानाध्यापक द्वारा लिखी जाएगी । तत्पश्चात् जिला कल्याण पदाधिकारी/विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण द्वारा अभ्युक्ति अंकित की जाएगी जिसपर उप निदेशक, कल्याण समीक्षा के साथ उसे अपने कार्यालय में रखेगें और मांग करने पर विभाग को देगें ।

ख) <u>प्रधानाध्यापक</u>:- प्रधानाध्यापक की वार्षिक गोपनीय चरित्र पुस्ति उपनिदेशक कल्याण द्वारा लिखी जाएगी और दो प्रतियों में उसकी स्वीकृति एवं संधारण हेतु आदिवासी कल्याण आयुक्त सह-निदेशक, कल्याण को भेजेगें जो एक प्रति विभाग को भेजेगें । चरित्र पुस्तियों के अंकन तथा संधारण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक आदेश दिये जा सकेगे और वे इस नियम के अंग होगे ।

9.सेवा-पुस्तिका:-

1. प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/शिक्षक की सेवा पुस्तिका विहित प्रपत्र में संधारित की जाएगी । प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में सेवा पुस्तिका का सत्यापन किया जायेगा ।

10.अवकाश

1- प्रधानाध्यापकों एवं सभी कोटियों के शिक्षकों को झारखंड सेवा संहिता में सन्निहित नियमों के अधीन देय अवकाश अनुमान्य होगें ।

2- प्रधानाध्यापक एवं सभी कोटि के शिक्षकों को अवकाश की स्वीकृति निम्नवत होगी:-

	अवकाश का स्वरूप	**स्वीकृत करने वाले पदा०**
(क) प्रधानाध्यापक	1- आकस्मिक अवकाश 2- उपार्जित अवकाश रूपांतरित अवकाश अर्द्धवैतनिक अवकाश असाधारण अवकाश, अवैतनिक अवकाश, मातृत्व अवकाश तथा अध्ययन अवकाश	जिला कल्याण पदाधिकारी 30 दिन 15 दिन } उ०नि०, कल्याण 30 दिन प्रधान सचिव/ सचिव, कल्याण विभाग।
(ख) सभी कोटियों के शिक्षक -	1- आकस्मिक अवकाश 2- क्वारंटीन एवं मातृत्व अवकाश उपार्जित अवकाश-30 दिनों तक रूपांतरित अवकाश 15 दिनों तक 30 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश 3- उपार्जित अवकाश 30 दिनों से अधिक रूपांतरित अवकाश 15 दिनों से अधिक, असाधारण एवं अवैतनिक अवकाश	प्रधानाध्यापक उप निदेशक, कल्याण प्रधान सचिव/ सचिव, कल्याण विभाग।

11. पदग्रहण काल:-

झारखंड सेवा संहिता में सन्निहित नियमों तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन पदग्रहण काल देय होगा ।

12. निरीक्षण

आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण जिला कल्याण पदाधिकारी, उप निदेशक, कल्याण, आदिवासी कल्याण आयुक्त तथा उच्च कोटि के सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा सामायिक रूप से किया जाएगा। विभाग स्तर से दिये गये आदेश के आलोक में कोई भी पदाधिकारी निरीक्षण कर सकेगा ।

अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी/प्रखंड कल्याण पदाधिकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों का निरीक्षण करेगें । उपायुक्त/उपविकास आयुक्त के आदेश से जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत पदाधिकारी निरीक्षण कर सकेगा ।

13. अनुशासनिक कार्रवाई:-

सभी कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के नियम के आलोक में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी ।

14. प्रकीर्ण

(1) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में उपर के खंडों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, वैसे मामलों में झारखंड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य प्रावधान लागू होगें । प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों एवं सभी कोटियों के विहित नियमों के अधीन उक्त सुविधाओं को देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ही होगें ।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या उसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी ।

(3) राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जाएगा ।

15. यदि इस नियमावली के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अपेक्षानुसार नियमानुसार नियमावली के अधीन आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के सचिव ।

कल्याण विभाग।

अधिसूचना

20 मार्च, 2017

संख्याः-06/08 प्र.वि.शि.स्था.-01/2013-897-- भारत का संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय +2 आवासीय विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनिमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

अध्याय -1

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-

(I) यह नियमावली झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय +2 आवासीय विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं प्रोन्नति सेवा शर्त्त नियमावली, 2017 कहलायेगी ।

(II) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(III) यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

अध्याय - 2

2. परिभाषाएँ:-

(I) ''+2 आवासीय विद्यालय'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ग 12 तक के ऐसे विद्यालय, जिनका संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है ।

(II) ''प्राचार्य'' से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा +2 आवासीय विद्यालयों के प्रधान के रूप में नियुक्त शिक्षक ।

(III) ''स्नातकोत्तर शिक्षक'' से अभिप्रेत है, +2 आवासीय विद्यालयों के लिए नियुक्त विभिन्न विषयों के शिक्षक ।

(IV) ''प्रयोगशाला सहायक'' से अभिप्रेत है +2 आवासीय विद्यालयों में स्थापित किये गये प्रयोगशाला में सहायक के रूप में कार्य करने वाला प्रभारी ।

(V) ''शिक्षकेत्तर कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, समूह 'ख' एवं 'ग' के पद पर +2 विद्यालयों के लिये नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी ।

(VI) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, यथा स्थिति झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्थापित झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।

(VII) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार ।

(VIII) ''सरकार के सचिव'' से अभिप्रेत है, कल्याण विभाग के सचिव/प्रधान सचिव ।

(IX) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य ।

(X) ''सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, प्राधिकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा के साथ मेधा सूची प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करें ।

(XI) ''प्रशिक्षण'' से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी॰एड॰ अथवा राष्टीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी॰एड॰ के समकक्ष घोषित डिग्री ।

(XII) ''मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान'' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17 अगस्त, 1995 से पूर्व के मामलों में राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान ।

अध्याय - 3

3. +2 आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की अधोलिखित श्रेणियाँ होंगी:-

(क) प्राचार्य (i) प्राचार्य, मूल कोटि ।

वेतनमान रू॰- 15600-39100, ग्रेड पे॰- 7600/-

(ख) उप प्राचार्य (ii) उप प्राचार्य, मूल कोटि ।

वेतनमान रू॰- 9300-34800, ग्रेड पे॰- 5400/-

(iii) उप प्राचार्य, वरीय वेतनमान कोटि ।

वेतनमान रू॰- 15600-39100, ग्रेड पे॰- 6600/-

(ग) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक

(i) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित मूल कोटि ।

वेतनमान रू॰- 9300-34800, ग्रेड पे॰- 4800/-

(ii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित वरीय वेतनमान कोटि ।

वेतनमान रू॰- 9300-34800, ग्रेड पे॰- 5400/-

(iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रवरण वेतनमान कोटि।

वेतनमान रू॰- 15600-39100, ग्रेड पे॰- 6600/-

4. +2 आवासीय विद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी:-

(क) प्रयोगशाला सहायक

(i) मूल कोटि ।

वेतनमान रू॰- 9300-34800, ग्रेड पे॰- 4200/-

(ii) वरीय वेतनमान कोटि ।

वेतनमान रू॰- 9300-34800, ग्रेड पे॰- 4600/-

(iii) प्रवरण वेतनमान कोटि ।

वेतनमान रू॰- 9300-34800, ग्रेड पे॰- 4800/-

5. नियम 3 एवं 4 (क) में शिक्षकों एवं प्रयोगशाला सहायकों की दर्शायी गयी श्रेणियों में से मात्र मूल कोटि की श्रेणियों में ही इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधी नियुक्ति की जायेगी । वरीय वेतनमान कोटि अथवा प्रवरण वेतनमान कोटि के पद प्रोन्नति द्वारा उस श्रेणी के मूल कोटि के नियुक्त प्राचार्य/उप प्राचार्य/स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/प्रयोगशाला सहायक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप भरा जायेगा ।

6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के दिशा निर्देश के अनुरुप नियम 3 एवं 4 में दर्शायी गयी श्रेणियों के मूल कोटि के वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान देय होगा । स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक की श्रेणी में प्रवरण वेतनमान का लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदों के 20% अनुमान्य पद के विरुद्ध वरीय वेतनमान में न्यून्तम 10 वर्षों की सेवा करने वाले शिक्षकों/प्रयोगशाला सहायकों को वरीय क्रम में

देय होगा । प्रवरण वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का अनुसरण किया जायेगा । उक्त प्रोन्नति इस नियमावली के अध्याय-10 में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा राज्य स्तरीय सम्वर्ग के पदों पर दी जायेगी ।

अध्याय- 4

7. सम्वर्ग:-

(क) +2 विद्यालय में प्राचार्य/उप प्राचार्य/स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक का सम्वर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति पदाधिकारी सचिव/प्रधान सचिव कल्याण विभाग होंगे ।

अध्याय - 5

8. वेतनमान:- इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की श्रेणियों का वेतनमान राज्य सरकार द्वारा लागू वेतनमान् होगा ।

9. स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की अहर्त्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया:-

(I) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3 (ग)(प) में उल्लेखित रिक्त पदों की राज्य सरकार के आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तयों की सूचना सचिव/प्रधान सचिव, कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जायेगा । इस प्रकार चिन्हित रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद पर कल्याण विभाग माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अहर्त्ता प्राप्त तीन वर्षों का शैक्षणिक अनुभव रखने वाले ऐसे शिक्षकों द्वारा जो सेवा सम्पुष्ट हों, जिनके विरूद्व संसूचित कोई दण्ड प्रभावी नहीं हो तथा जिनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लम्बित नहीं हो तथा 50 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा । उक्त सभी नियुक्तियों का आधार झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक जाँच परीक्षा होगी । जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे:-

(II) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी । परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी ।

(III) इस नियमावली के अध्याय- 2 के नियम 2(XI) एवं 2(XII) के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हों । परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की

परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जायेगी । परन्तु ऐसे अभ्यार्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोगद्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की प्रशिक्षण परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा । तत्पश्चात् आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

(IV) उम्र:-सीधी भर्त्ती हेतु उम्र-सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों के अनुरूप होगी ।

(V) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी:-

परीक्षा का स्वरूप:-

1) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगीः-

(क) प्रारंभिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परन्तु किसी विषय के शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में अभ्यर्थियों की संख्या 15000 (पन्द्रह हजार) से कम होने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जायेगी ।

2) सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे । एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3(तीन) होगा । प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी ।

3) परीक्षा की भाषा हिन्दी /अंग्रेजी होगी ।

(क) प्रारंभिक परीक्षा

सामान्य ज्ञान के इस परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी जिसमें निम्नलिखित उपखण्डों से प्रश्न पूछे जायेंगेः-

पत्र-सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन	-	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	-	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	-	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	-	20 प्रश्न
(ड़) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान	-	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	-	30 प्रश्न
कुल	-	150 प्रश्न

उपर्युक्त उपखण्डों के प्रश्नों का पाठ्यक्रम वही होगा जो स्नातक स्तरीय पदों पर भर्ती के संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विहित है ।

(ख) मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित दो पत्र होंगेः-

प्रश्न पत्र-1- सामान्य ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा । इस प्रश्न पत्र की परीक्षा अर्हक (Qualifying) परीक्षा होगी जिसमें तैतींस प्रतिशत अंक उत्तीर्णतांक निर्धारित रहेगा । इस प्रश्न पत्र की परीक्षा में तैतींस प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र दो की उत्तरपुस्तिका की जाँच नहीं की जायेगी । तैतींस प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने की स्थिति में उसे मेधा सूची के निर्धारण के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा । इसमें निम्नलिखित उपखण्डों के प्रश्न पुछे जायेंगेः-

हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित	- 13 प्रश्न
अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित	- 12 प्रश्न
हिन्दी व्याकरण पर आधारित	- 13 प्रश्न
अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित	- 12 प्रश्न
सामान्य अध्ययन	- 20 प्रश्न

सामान्य विज्ञान	- 20 प्रश्न
मानसिक क्षमता जाँच	- 15 प्रश्न
कम्प्यूटर ज्ञान	- 10 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	- 35 प्रश्न
कुल प्रश्नों की संख्या	- 150 प्रश्न

उपर्युक्त प्रश्नों का स्तर वही होगा जो किसी सुशिक्षित व्यक्ति से उत्तर की अपेक्षा की जाती हो ।

प्रश्न पत्र-2- संबंधित विषय की परीक्षा जिस विषय के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति होनी है । इसमें संबंधित विषय के स्नातक स्तर के 120 (एक सौ बीस) प्रश्न पुछे जायेंगे तथा इस पत्र में प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जायेगी । आरक्षण कोटिवार इस पत्र की परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक निम्नवत् रहेगाः-

(I)	अनारक्षित	- 40 (चालीस) प्रतिशत
(II)	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति	- 32 (बत्तीस) प्रतिशत
(III)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची-1)	- 34 (चौतीस) प्रतिशत
(IV)	पिछड़ा वर्ग- (अनुसूची-2)	- 36.5 (छत्तीस दसमलव पाँच) प्रतिशत
(V)	झारखण्ड राज्य की स्थानीय महिला	- 32 (बत्तीस) प्रतिशत

उपर्युक्त अहर्तांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा- सूची में शामिल नहीं किया जायेगा । राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे ।

अध्याय- 7

10. उप प्राचार्य की अहर्त्ताऐं एवं नियुक्ति की प्रक्रिया:-

(I) +2 आवासीय विद्यालय में इस नियमावली के नियम 3(ख)(प) में उल्लेखित उप प्राचार्य के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्त्ता वाले +2 विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों से कार्यरत स्नातकोत्तर शिक्षक से वरीयता-सह-योग्यता आधारित (seniority cum fitness)

प्रोन्नति द्वारा इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीयप्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी । वरीयता का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा ।

(II) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3 (ख)(i) में उल्लेखित उप प्राचार्य के रिक्त पदों का शेष 50 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना सचिव/प्रधान सचिव द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जायेगा एवं प्राधिकार के रुप में प्रधिकृतप्राधिकारद्वारा आयोजित जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे:-

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी ।

(ii) इस नियमावली के अध्याय-2 के नियम (XI) एवं(XII) के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों ।

(iii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम 5 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव ।

(iv) उप प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की 31वी दिसम्बर को उम्मीदवार की आयु सीमा 45 वर्षों की होगी । परन्तु यह कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्रों के आलोक में आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ महिला वर्ग/ विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा ।

(III) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी:-

(i) (क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान की परीक्षा - 100 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित - 100 अंक शिक्षक के रुप में नियुक्ति हुई है, उस विषय की परीक्षा

(ii) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। दोनों प्रश्न पत्रों में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(iii) प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगा । प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा ।

(iv) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/शैक्षणिक/ जाति प्रमाण-पत्रों की जाँच करते हुए $2 विद्यालयों में उप प्राचार्य के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी ।

(v) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में सचिव/प्रधान सचिव, कल्याण विभाग नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे ।

(vi) Computer Application की जानकारी ।

अध्याय- 8

11. प्राचार्य की अहर्त्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया:-

(I) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्राचार्य के रिक्त पदों का आधा अर्थात् 50 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्त्ता वाले +2 विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों से वरीयता सह मेधा क्रम में प्रोन्नति द्वारा इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय समिति के विचार एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर भरा जायेगा । वरीयता का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा ।

(II) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्राचार्य के रिक्त पदों के 50% पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की प्रधान सचिव, कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रुप में प्रधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे:-

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी ।

(ii) इस नियमावली के अध्याय-2 के नियम 2 (XI) एवं (XII) के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हों ।

(iii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम आठ वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव ।

(iv) प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 50 वर्षों की होगी । परन्तु यह कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्रों के आलोक में आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ महिला वर्ग/ विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा ।

(v) Computer Application की जानकारी ।

(III) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी:-

(i) (क)प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा - 100 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में नियुक्ति होनी है - 100 अंक उस विषय की परीक्षा।

(ii) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी । दोनों प्रश्न पत्रों में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(iii) प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम के अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा । यह मेधा सूची उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगा । प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा ।

(iv) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण-पत्र की जाँच करते हुए $2 विद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी ।

(v) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग निर्गत कर सकेंगे ।

अध्याय- 9

12. प्रयोगशाला सहायक की अहर्त्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया:-

(I) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 4 (क) (प) में उल्लेखित सभी रिक्त पदों की आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना प्रधान सचिव, कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जाएगा । उक्त सभी नियुक्तियों का आधार झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे:-

i. राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री होगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होगा ।

ii. जिस पंचाग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार आयु वही होगी, जो कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या- 2096 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 द्वारा निर्धारित किया गया है ।

iii. जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी:-

(क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा - 120 प्रश्न

(ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में नियुक्ति होनी है - 260 प्रश्न उस विषय की परीक्षा ।

iv. उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ क्रमशः दो एवं तीन घंटे की होगी । प्रश्न पत्र (1) अहर्क (Qualifiying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । जिन अभ्यार्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहींकिया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे ।

v. प्रश्न पत्र (2) का स्तर भी स्नातक स्तरीय होगा तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा । यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगा । प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा ।

vi. प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए +2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों के विरूद्ध एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी ।

vii. राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे ।

अध्याय - 10

13. स्थापना समिति:- नियमावली के नियम 3 एवं 4 में दर्शायी गयी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के श्रेणियों में पदस्थापन, प्रोन्नति एवं अन्य कार्रवाईयों हेतु निम्नवत् राज्य स्तरीय:-

(I) राज्य स्तरीय स्थापना समिति:-

(i)	प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग	-	पदेन अध्यक्ष ।
(ii)	विशेष सचिव, कल्याण विभाग	-	पदेन सदस्य ।
(iii)	आदिवासी कल्याण आयुक्त	-	पदेन सदस्य ।
(iv)	उप सचिव, स्थापना	-	पदेन सदस्य ।
(v)	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी	-	सदस्य ।

14. नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा घोषित आरक्षण नीति का अनुपालन करते हुए अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग को नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण अनुमान्य होगा । इन पदों पर निःशक्तजनों के लिए

3, महिलाओं के लिए 5, तथा खेलकूद कोटा के लिए 2 पद क्षैतिज रुप से विनियमन हेतु आरक्षण राज्य सरकार के आदेशों के आलोक में अनुमान्य होंगे ।

15. इन नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में इस नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा झारखण्ड सरकार वित्त विभाग संकल्प संख्या-518वि॰, दिनांक 9 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2004 के अधीन अंशदायी पेंशन प्रदायी होगी ।

16. इस नियमावली के निमय 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के नियम के आलोक में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी ।

17. इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे ।

18. अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में नियमावली में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उसमें झाखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे । शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति सम्वर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी की होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त, 2017

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त(खंड)-03/2017-4108(02)/रा.,-- उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-**888,** दिनांक **27 जुलाई, 2017** के आलोक में निम्न अंचल अधिकारियों को उनके कार्यों के अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013")** की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैः-

(1) श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अंचल अधिकारी, गोड्डा,

(2) श्री राजू कमल, अंचल अधिकारी, पथरगामा,

(3) श्री अरविन्द देवाशीष टोप्पो, अंचल अधिकारी, महागामा,

(4) श्री राजीव कुमार, अंचल अधिकारी, बोआरीजोर एवं

(5) श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, अंचल अधिकारी, मेहरमा

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त, 2017

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त(खंड)-03/2017-4110(02)/रा.,-- श्री बाल किशोर महतो, कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ की शक्ति को विलोपित करते हुए श्री संदीप कुमार दुबे, अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला को उनके कार्यों के अलावे अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013")** की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त, 2017

संख्या-2/रा० स्था०-19/10-4111/रा, उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-419, दिनांक 26 जुलाई, 2017 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1701, दिनांक 31 मार्च, 2017 को विलोपित करते हुए श्री संदीप दुबे, अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला को अपने कार्यों के अतिरिक्त राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला की शक्ति प्रदत्त की जाती है ।

श्री दुबे के उक्त पद से स्थानांतरण अथवा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला के पद पर नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण करने, जो भी पहले हो, के उपरांत यह अधिसूचना स्वतः विलोपित समझी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

8 अगस्त, 2017

संख्या-05/स० भू० (कौशल विकास)-95/17-4124/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **1 अगस्त, 2017** में मद संख्या-**16** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय परिपत्र संख्या-**3026**/रा०, दिनांक **7 अक्टूबर, 2010** की कंडिका-**1** में उल्लेखित बोर्ड/उपक्रम/निगम को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित नहीं किये जाने के प्रावधानों को इस मामले में शिथिल करते हुए राँची जिला के इटकी अंचल, दुमका जिला के काठीकुंड अंचल, साहेबगंज जिला के बोरियो अंचल, गिरिडीह जिला के गिरिडीह अंचल, गोड्डा जिला के गोड्डा अंचल एवं देवघर जिला के देवघर अंचल अन्तर्गत विभिन्न मौजा, थाना, प्लॉट संख्या में अन्तर्निहित जिलावार कुल रकबा-**37.00** एकड़ गैरमजरूआ भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**I**) पर झारखण्ड राज्य में व्यावसायिक मोटरवाहन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित किये जाने संबंधी संबंधित जिलों द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश को रद्द करते हुए उक्त भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के पक्ष में करने के संबंध में।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि संबंधित उपायुक्त प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातां एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम **1980** के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही जंगल-झाड़ी भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई संबंधित उपायुक्त, सुनिश्चित करेंगे ।

iii) संबंधित उपायुक्त द्वारा खासमहाल मेनुएल में विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश/परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

iv) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है**,** उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व**,** निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

8 अगस्त, 2017

संख्या-09/आरोप-रामगढ़-84/2016-4135(09),-- वर्ष 2016 में दिनांक 31 अगस्त, 2016 को बन्दोबस्त कार्यालय, हजारीबाग के क्षेत्रीय कार्या के निष्पादन के क्रम में धारा 83 आपत्ति वाद की सुनवाई हेतु आपत्ति शिविर रामगढ़ में प्रतिनियुक्ति के दौरान ग्राम कुन्दरू कला के खाता 33 प्लॉट नं०-2281 का रकवा सुधार करने हेतु वादी की ओर से श्री दीपक कुमार, पिता श्री मेघनाथ महतो से रूपये 4500/-(चार हजार पाँच सौ) रिश्वत लेते हुए श्री लाल बाबू, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग सम्प्रति - सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग के धावा दल द्वारा गिरफ्तार करने के आरोप में बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक-75-I दिनांक 6 अप्रैल, 2017 द्वारा श्री लाल बाबू के विरूद्ध आरोप प्रपत्र - 'क' उपलब्ध कराया गया है ।

2. आरोप प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों एवं उसपर श्री लाल बाबू द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 16 के तहत इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री लाल बाबू को आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि से एक पक्ष के अंदर नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित बचाव/बयान प्रस्तुत करें ।

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-7192, दिनांक 22 अगस्त, 2016 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चंद्र झा, से.नि. भा.प्र.से. को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. श्री राजेश कुमार (झा.प्र.से.), सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना
12 अगस्त, 2017

संख्या-09/आरोप धनबाद-26/2015-4240 (09)/रा.,-- श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कानूनगो, जिला भू-अर्जन कार्यालय, धनबाद सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका के द्वारा झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के लिए प्रस्तावित भू-अर्जन से संबंधित भू-धारियों को मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरते जाने के संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, धनबाद के पत्रांक-**635,** दिनांक **19 जून, 2015** के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

2. आरोप प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों, उसपर श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इसपर उपायुक्त, धनबाद के मंतव्य के सम्यक् समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, **2016** के नियम **17** के तहत श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि से एक पक्ष के अंदर नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित बचाव/बयान प्रस्तुत करें ।

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०**-7192,** दिनांक **22 अगस्त, 2016** के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चंद्र झा, से.नि. भा.प्र.से. को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

10 अगस्त, 2017

संख्या-वि०स०वि०-12/2017-2405/वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 10 अगस्त, 2017 को पुरःस्थापित हुआ, झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है । प्रकाशित करें ।

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव

झारखण्ड विधान-सभा, रांची।

[वि0स0वि0-10/2017]

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापरित]

विषय सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. 2017-18 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से **1987,74,37,000 (एक हजार नौ सौ सतासी करोड़ चौहतर लाख सैंतीस हजार)** रुपये की निकासी ।

3. विनियोग-।

अनुसूची ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापरित]

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -** (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।

(iii) यह 1ली अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. **2017-18 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 1987,74,37,000 (एक हजार नौ सौ सतासी करोड़ चौहतर लाख सैंतीस हजार) रुपये की निकासी ।-** झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2017 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल **1987,74,37,000 (एक हजार नौ सौ सतासी करोड़ चौहतर लाख सैंतीस हजार)** रुपये की, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी ।

3. **विनियोग ।-** इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1ली अप्रैल, 2017 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2018 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी ।

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Division)	राजस्व/Revenue	34,82,16,000		34,82,16,000
		पूंजी/Capital			
3	भवन निर्माण विभाग Building Construction Department	राजस्व/Revenue	1,97,50,000		108,46,90,000
		पूंजी/Capital	106,49,40,000		
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Cabinet Secretariat and Co-ordination Division)	राजस्व/Revenue	3,57,00,000		3,57,00,000
		पूंजी/Capital			
6	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग Cabinet (Election) Department	राजस्व/Revenue	1,69,83,000		1,69,83,000
		पूंजी/Capital			
7	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Vigilance Division)	राजस्व/Revenue	58,00,000		58,00,000
		पूंजी/Capital			

8	परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग) Transport Department (Civil Aviation Division)	राजस्व/Revenue	16,10,000		16,10,000
		पूंजी/Capital			
10	ऊर्जा विभाग Energy Department	राजस्व/Revenue	250,00,00,000		250,00,00,000
		पूंजी/Capital			
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग Excise and Prohibition Department	राजस्व/Revenue	10,00,000		10,00,000
		पूंजी/Capital			
12	योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) Planning-cum-Finance Department (Finance Division)	राजस्व/Revenue	30,00,000		30,00,000
		पूंजी/Capital			
17	वाणिज्यकर विभाग Commercial Tax Department	राजस्व/Revenue	7,57,21,000		7,57,21,000
		पूंजी/Capital			

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department	राजस्व/Revenue	4,87,99,000		4,87,99,000
		पूंजी/Capital			

19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग Forest, Environment and Climate Change Department	राजस्व/Revenue	8,95,00,000		8,95,00,000
		पूंजी/Capital			
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग Health, Medical Education and Family Welfare Department	राजस्व/Revenue	423,52,70,000		434,09,66,000
		पूंजी/Capital	10,56,96,000		
21	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)	राजस्व/Revenue	3,64,68,000		3,64,68,000
		पूंजी/Capital			
22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)	राजस्व/Revenue	34,76,11,000		57,39,63,000
		पूंजी/Capital	22,63,52,000		
23	उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग) Industries, Mines and Geology Department (Industry Division)	राजस्व/Revenue	12,00,000		12,00,000
		पूंजी/Capital			
24	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग Information and Public Relation Department	राजस्व/Revenue	15,00,00,000		16,00,00,000
		पूंजी/Capital	1,00,00,000		
26	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग Labour, Employment and Skill Development Department	राजस्व/Revenue	2,87,23,000		12,07,90,000
		पूंजी/Capital	9,20,67,000		
27	विधि विभाग Law Department	राजस्व/Revenue	1,74,00,000		1,74,00,000
		पूंजी/Capital			
28	झारखण्ड उच्च न्यायालय High Court of Jharkhand	राजस्व/Revenue		*2,86,79,000*	*2,86,79,000*
		पूंजी/Capital			

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
30	कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग) Welfare Department (Minorities Welfare Division)	राजस्व/Revenue	1,53,36,000		1,53,36,000
		पूंजी/Capital			
32	विधान सभा Legislative Assembly	राजस्व/Revenue	76,00,000	*10,00,000*	86,00,000
		पूंजी/Capital			
33	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department (Personnel and Administrative Reforms Division)	राजस्व/Revenue	2,14,00,000		2,14,00,000
		पूंजी/Capital			
34	झारखण्ड लोक सेवा आयोग Jharkhand Public Service Commission	राजस्व/Revenue		*75,00,000*	*75,00,000*
		पूंजी/Capital			
35	योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) Planning-cum-Finance Department (Planning Division)	राजस्व/Revenue	24,20,000		24,20,000
		पूंजी/Capital			

36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग Drinking Water and Sanitation Department	राजस्व/Revenue	14,17,09,000		44,17,09,000
		पूंजी/Capital	30,00,00,000		
38	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) Revenue, Land Reforms and Registration Department (Registration Division)	राजस्व/Revenue	50,000		50,000
		पूंजी/Capital			
39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management Division)	राजस्व/Revenue	123,99,59,000		123,99,59,000
		पूंजी/Capital			
40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) Revenue, Land Reforms and Registration Department (Revenue and Land Reforms Division)	राजस्व/Revenue	1,87,369,000		18,73,69,000
		पूंजी/Capital			

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) Rural Development Department (Rural Development Division)	राजस्व/Revenue	11,66,85,000		13,68,15,000
		पूंजी/Capital	2,01,30,000		

43	उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग)	राजस्व/Revenue	82,000		82,000
	Higher and Technical Education Department (Science and Technology Division)	पूंजी/Capital			
45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग	राजस्व/Revenue	11,96,000		11,96,000
	Information Technology and e-Governance Department	पूंजी/Capital			
47	परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	राजस्व/Revenue			5,00,00,000
	Transport Department (Transport Division)	पूंजी/Capital	5,00,00,000		
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	राजस्व/Revenue	248,14,52,000		248,14,52,000
	Urban Development and Housing Department (Urban Development Division)	पूंजी/Capital			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व/Revenue			99,00,00,000
	Water Resources Department	पूंजी/Capital	99,00,00,000		
50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	राजस्व/Revenue			55,00,00,000
	Water Resources Department (Minor Irrigation Division)	पूंजी/Capital	55,00,00,000		
51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	राजस्व/Revenue	183,95,11,000		303,95,11,000
	Welfare Department (Welfare Division)	पूंजी/Capital	120,00,00,000		
52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	राजस्व/Revenue	59,56,000		59,56,000
	Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Sports and Youth Affairs Division)	पूंजी/Capital			

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Dairy Division)	राजस्व/Revenue	50,000		50,000
		पूंजी/Capital			
55	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग) Rural Development Department (Rural Works Division)	राजस्व/Revenue	75,48,97,000		75,48,97,000
		पूंजी/Capital			
56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) Rural Development Department (Panchayati Raj Divisional)	राजस्व/Revenue	32,34,27,000		32,34,27,000
		पूंजी/Capital			
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) School Education and Literacy Department (Secondary Education Division)	राजस्व/Revenue	1,28,29,000		1,28,29,000
		पूंजी/Capital			
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग) School Education and Literacy Department	राजस्व/Revenue	1,12,55,000		1,12,55,000
		पूंजी/Capital			

	(Primary and Adult Education Division)				
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग Women, Child Development and Social Security Department	राजस्व/Revenue	10,51,39,000		10,51,39,000
		पूंजी/Capital			
योग /Total		**राजस्व/Revenue**	**1523,10,73,000**	***3,71,79,000***	**1526,82,52,000**
		पूंजी/Capital	**460,91,85,000**		**460,91,85,000**
महायोग / Grand Total			**1984,02,58,000**	***3,71,79,000***	**1987,74,37,000**

यह विधेयक झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2017 दिनांक 10 अगस्त, 2017 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 10 अगस्त, 2017 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

दिनेश उराँव,

अध्यक्ष ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 23--200 ।